

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:-गणतंत्र दिवस समारोह-2025 के अवसर पर योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

गणतंत्र दिवस समारोह-2025 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम-7 के अन्तर्गत राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों /मण्डलों/बोर्ड/जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. विभाग द्वारा अपने स्तर पर विगत सात वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2023-24) के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किए जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की सिफारिश व विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर, सुस्पष्ट आठ प्रतियों में प्रेषित करें।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय सेवा/कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो लगभग एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में आठ प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
5. राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग-अलग प्रस्ताव भेजें।
6. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
7. प्रपत्र के कॉलम संख्या-5 का प्रमाणिकरण अभिलेख के आधार पर सुनिश्चित करें।
8. एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम ही योग्यता प्रमाण-पत्र के लिये प्रस्तावित किये जावें।
9. सहकारी संस्था/नगरपालिका/निगम/मण्डल/बोर्ड/जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।
10. पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजे जावें तथा यह भी प्रमाणित करें कि इन्हें पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।
11. प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेखित किया जावे कि इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2024.11.28 11:35:06
Reason: Approved



....2...

अतः कृपया आपके अधीन नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल का विवरण तथा उनकी सेवायें किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 06.01.2025 तक अवश्यमेव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न:- 2 प्रपत्र।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

अशा0 टीप क्रमांक: प0 25(4)मं.म/2024-01958-6577908
जयपुर, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रिगण।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 20.12.2024 तक संलग्न प्रपत्र में प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 06.01.2025 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी/सिफारिश के सीधे ही प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
7. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2024.11.28 11:35:06 IST
Reason: Approved

गणतंत्र दिवस समारोह-2025 के अवसर पर राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में **जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष** द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नाम:
(ख) पदनाम, पै-बैंड, वर्तमान वेतन एवं पे मैट्रिक्स लेवल सहित:
(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पद:
(घ) सेवा का नाम (राजपत्रित/अराजपत्रित):
(ड.) घर का पता:
(च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई-मेल
2. जन्म तिथि:
3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख:
4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।
5. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र:
(क) अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
(ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।
6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा:
7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हां तो उसका विवरण:
8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?
9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
10. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी:
11. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2024.11.28 11:35:06 IST
Reason: Approved

गणतंत्र दिवस समारोह-2025 के अवसर पर राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नाम:
(ख) पदनाम, पै-बैंड, वर्तमान वेतन एवं पे मैट्रिक्स लेवल सहित:
(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पद:
(घ) सेवा का नाम (राजपत्रित/अराजपत्रित):
(ड.) घर का पता:
(च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई-मेल:
2. जन्म तिथि:
3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख:
4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।
5. क्या जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष की अभिशंषा प्राप्त है:-
6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा:
7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हां तो उसका विवरण:
8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं ?
9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के हस्ताक्षर
मय सील एव दिनांक

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2024.11.28 11:35:06 IST
Reason: Approved